

मुकदमों का विवरण

आईआरएफएएन @एन. ए. के. ए. बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य (2022 की आपराधिक अपील संख्या 825-826) 23 अगस्त, 2023

[बी. आर. गवई, जे. बी. पारदीवाला और प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, जिसे दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। 302, 436 और 326-ए, भारतीय दंड संहिता सी. और मौत की सजा सुनाई गई, कथित तौर पर अपने बेटे और उसके असली भाइयों को केवल मृत्यु घोषणाओं के आधार पर दोषी ठहराए जाने के लिए।

साक्ष्य-मृत्यु घोषणा-दोषसिद्धि का एकमात्र आधार-जब न्यायसंगत नहीं ठहराया गया-अपीलार्थी ने अपनी पहली शादी से अपने बेटे (पीड़ित-मृत) के साथ तनावपूर्ण संबंध बनाए थे और उसके दो भाई (पीड़ित-मृत), जिनमें से सभी, अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसकी दूसरी शादी के खिलाफ थे-कहा जाता है कि उसने उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था जिसमें पीड़ित सो रहे थे, कमरे में मिट्टी का तेल डाला और इसे दो मृत व्यक्तियों की मृत्यु घोषणाओं पर स्थापित किया, जिन पर भरोसा किया गया था-वैधता:

आयोजित किया गया: न्यायालयों को सबसे पहले खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है कि प्रश्न मृत्यु घोषणा विश्वसनीय और सत्य है, इस पर कोई भी भरोसा रखने से पहले-मृत्यु घोषणा को सत्य होने का अनुमान लगाते हुए पूरी तरह से विश्वसनीय होना चाहिए और विश्वास को प्रेरित करना चाहिए-जहां इसकी सत्यता पर कोई संदेह है या रिकॉर्ड पर साक्ष्य से पता चलता है कि मृत्यु घोषणा सत्य नहीं है, तो इसे केवल साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, लेकिन केवल दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है-तत्काल मामले में, न तो दो मृत्यु घोषणाएं और न ही पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 के मौखिक साक्ष्य किसी भी विश्वास को प्रेरित करते हैं-ये दोनों गवाह दो मृत्यु घोषणाओं में विश्वास नहीं करते हैं।

789 790

/

[2023] 11 एस सी आर।

- दो मृत्यु घोषणाएं अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य के अनुरूप या बल्कि विरोधाभासी नहीं हैं- हालाँकि, दो मृत्यु घोषणाओं में अपीलार्थी का नाम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया गया था जिसने मामले की सुनवाई शुरू की थी, फिर भी आसपास की परिस्थितियाँ इस तरह के बयान

को बहुत संदिग्ध बनाती हैं-केवल दो मृत्यु घोषणाओं के आधार पर दोषसिद्धि को समाप्त करने के लिए भिन्न पंथ-अभियोजन ने अपीलार्थी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है-अपीलार्थी को बरी कर दिया गया है।[पारस 47,61,64,67-69]

आपराधिक विधि -अभियुक्त के खिलाफ आरोप-उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए अभियोजन का कर्तव्य:

आयोजित किया गया:अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के खिलाफ आरोप को उचित संदेह से परे स्थापित करे-संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त के पक्ष में होना चाहिए-मृत्यु घोषणा सबूत का एक ठोस टुकड़ा है जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए बशर्ते कि यह साबित हो कि यह स्वैच्छिक और सच्चा था और पीड़ित मानसिक स्थिति में था-न्यायालय के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मृत्यु घोषणा विश्वसनीय है क्योंकि आरोपी का नाम मृत्यु घोषणा में हमलावर के रूप में है-साक्ष्य-मृत्यु घोषणा।[पैरा 63]

साक्ष्य-मृत्यु घोषणा-स्वीकार्यता-सिद्धांत:

आयोजित किया गया:मृत्यु घोषणा की स्वीकार्यता के बारे में न्यायालय सिद्धांत यह है कि ऐसी घोषणा चरम सीमा में की जाती है, जब पक्ष मृत्यु के बिंदु पर होता है और जब इस दुनिया की हर आशा समाप्त हो जाती है, जब झूठ का हर उद्देश्य शांत हो जाता है, और आदमी केवल सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार से प्रेरित होता है-इसके बावजूद, कई परिस्थितियों के अस्तित्व के कारण इसे दिए जाने वाले महत्व पर विचार करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जो उनके सत्य को प्रभावित कर सकते हैं-जिस स्थिति में एक आदमी मृत्युशय्या पर है वह इतनी गंभीर और शांत है, विधि में उसके बयान की सत्यता को स्वीकार करने का कारण है-यही कारण है कि शपथ और प्रतिपरीक्षा की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया जाता है-क्योंकि,

[पैरा 43] इरफ़ान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

791

साक्ष्य-मृत्यु घोषणा-उन पर भरोसा-जिन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए-न्यायालय का कर्तव्य:

आयोजित किया गया:यह मानने की आम सहमति के बावजूद कि मृत्यु की घोषणा सच है, उन्हें सख्ती से स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि कार्रवाई का सामान्य तरीका यह रहा है कि न्यायाधीश यह तय करता है कि क्या मृत्यु की घोषणा की अनिवार्यताओं को पूरा किया जाता है और यदि यह स्वीकार्य हो सकता है, तो एक बार ऐसा करने के बाद, यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि मृत्यु की घोषणा किस हद तक श्रेय का हकदार है-इस प्रकार, यह निर्धारित करने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं है कि मृत्यु की घोषणा कब स्वीकार की जानी चाहिए-न्यायालय का कर्तव्य इस प्रश्न का निर्णय मामले के तथ्यों और आसपास की परिस्थितियों में करना है और उसी की सच्चाई के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होना है-जिन कारकों पर विचार किया जाना है, गणना की गई है।[पैरास 60 और 62]

साक्ष्य अधिनियम, **1872** -एस. **8**-आचरण:

अभियुक्त का आचरण अप्राकृतिक हो सकता है क्योंकि वह एक ही घर में रह रहा था, हालाँकि, आचरण एक प्रासंगिक तथ्य हो सकता है।⁸, अपने आप में किसी व्यक्ति को हत्या के अपराध का दोषी ठहराना पर्याप्त नहीं हो सकता है-दंड संहिता, 1860 -s.302।[पैरा 46]

साक्ष्य-मृत्यु की घोषणा-पवित्रता/अनुमान से जुड़ा हुआ-न्यायसंगत उद्धरण:

मृत्यु घोषणा के साथ जुड़ी पवित्रता/धारणा के लिए औचित्य दो गुना है-(i) नैतिक और धार्मिक रूप से यह माना जाता है कि एक व्यक्ति मौत के कगार पर होने पर झूठ नहीं बोलेगा, जबकि (ii) सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोण से यह ऐसी स्थिति से निपटने के लिए है जहां अपराध का एकमात्र गवाह उपलब्ध नहीं है।[पैरा 64]

साक्ष्य-मृत्यु घोषणा-न्यायालय के कर्तव्य की शुद्धता के संबंध में संदेह:

केवल उन मामलों में मृत्यु घोषणा के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करना असुरक्षित है जहां मृत्यु घोषणा की शुद्धता के संबंध में संदेह, जैसे कि हाथ में मामला उठाया गया है-ऐसे मामलों में, न्यायालय को मृत्यु घोषणा को केवल एक साक्ष्य के रूप में मानते हुए कुछ पुष्टिकारक साक्ष्य की तलाश करनी पड़ सकती है-एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री को प्रत्येक मामले में ठीक से तौला जाना चाहिए।

[पैरा 48] 792 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

अभ्यास और प्रक्रिया-समवर्ती निर्णयों के खिलाफ आपराधिक अपील-सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार-पर चर्चा की गई।

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

एमएस. दलबीर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1976) 4 एससीसी 158:[1977] 1 एस. सी. आर. 280; लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 6 एस. सी. सी. 710; मुथु कुट्टी और अन्न। वी.पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, टी. एन. (2005) 9 एस. सी. सी. 113:[2004] 6 पूरक।एस. सी. आर. 222; नल्लापति शिवैया बनाम उप-विभागीय अधिकारी,

गुंटूर, आंध्र प्रदेश (2007) 15 एससीसी 465:[2007] 10 एससीआर 347; भज्जू

उर्फ करण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2012) 4 एस. सी. सी. 327:[2012]

5 एस. सी. आर. 37; सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य (2013) 12 एस. सी. सी. 406: [2013] 3

एससीआर 830; धर्म दास वाधवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1974) 4 एससीसी

267:[1974] 3 एस. सी. आर. 607-निर्भर। राजा बनाम विलियम वुडकॉक (1789) 1 लीच 500:168 ई. आर. 352; नेविल नेम्बहार्ड बनाम द क्वीन (1982) 1 ए. आई. आई. ई. आर. 183-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 825-826।

2017 के आर. एन. No.11 में 2017 के सी. सी. एन. No.4669 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांकित 25.04.2018 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अदीबा मुजाहिद, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

अर्धेदुमौली कुमार प्रसाद, ए. ए. जी., आदर्श उपाध्याय, सुश्री पल्लवी कुमारी, सुश्री अनन्या साहू, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।

इरफ़ान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 794 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

793

सर्वोच्च
न्यायालय
का
निर्णय/आदेश

निर्णय जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें एक दोषी-अभियुक्त के कहने पर की जाती हैं और 2017 के संदर्भ संख्या 11 से संबंधित 2017 के राजधानी मामले संख्या 4669 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 1 के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दोषी-अभियुक्त के नेतृत्व में अपील को खारिज कर दिया और इस तरह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 6, बिजनौर द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') की धारा 242, 436 और 326-ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए पारित निर्णय और दोषसिद्धि और मौत की सजा के आदेश को लागू किया।

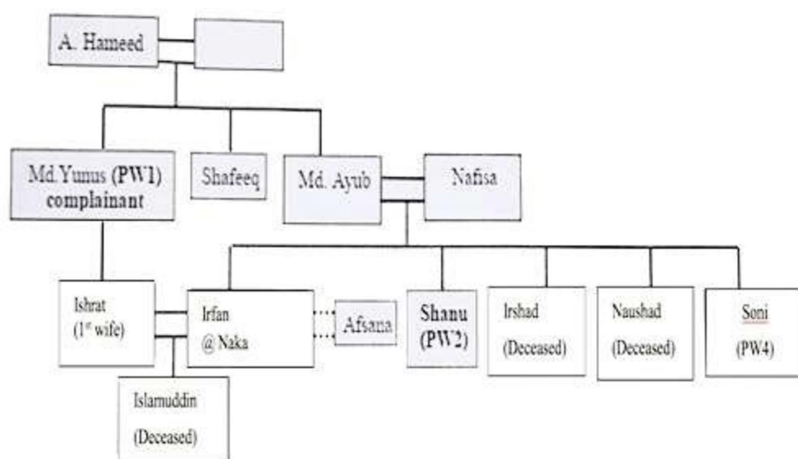
2. दोषी को एक लाख रुपये की सजा के साथ मौत की सजा सुनाई गई थी। 20, 000/- भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए निचली विचारण न्यायालय द्वारा। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 436 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए

दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 10, 000/- और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326-ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए, अपीलार्थी को रुपये के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 10, 000/- और शुल्क का भुगतान न करने पर छह महीने के कठोर कारावास की सजा होगी।

3. जबकि आपराधिक संदर्भ निचली विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 (संक्षेप में, 'सी. आर. पी. सी.') के अंतर्गत अपीलार्थी-दोषी को दी गई मृत्युदंड की सजा के लिए प्रस्तुत किया गया था, अपीलार्थी-दोषी ने 2017 के कैपिटल केस नंबर 4669 के माध्यम से अपील को प्राथमिकता दी, जिसमें उसकी दोषसिद्धि और सजा को जारी किया गया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-दोषी के नेतृत्व में मामले को खारिज कर दिया और इस तरह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अंतर्गत मौत के संदर्भ को स्वीकार कर लिया।

रोग होने का कारण

4. पारिवारिक चार्ट



5. अपीलार्थी-दोषी ने दो बार शादी की थी। पहली शादी इशरत नाम की एक महिला के साथ हुई थी, जो उनके चाचा मोहम्मद यूनुस (पीडब्लू-1) की बेटी थी। उनकी दूसरी शादी अफसाना नाम की महिला के साथ हुई थी। इस्लामूद्दीन (मृतक) नाम का एक बेटा इशरत के साथ विवाह में पैदा हुआ था। दोषी के दो भाई थे, इरशाद (मृत) और नौशाद (मृत), जो उसके और उसकी बहन सोनी (पीडब्लू-4) के साथ रहते थे। दोषी का एक अन्य भाई शानू उर्फ शाहनवाज (पीडब्लू-2) पड़ोस में रहता था।

6. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि तीन मृतक व्यक्ति विशेष रूप से इस्लामूद्दीन (दोषी का बेटा) अपने पिता, यानी अपीलार्थी-दोषी की दूसरी शादी का अत्यधिक विरोध करता था। इस्लामूद्दीन (मृतक) को एक बार भी अपीलार्थी-दोषी द्वारा पीटा गया था क्योंकि उसने अपने पिता की दूसरी शादी का बहुत विरोध किया था। इस्लामूद्दीन को अपीलार्थी-दोषी द्वारा धमकी भी

दी गई थी कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मृतक नौशाद (अपीलार्थी-दोषी का भाई) सऊदी अरब में था। वह अभी-अभी 04.08.2014 पर सऊदी अरब से बिजनौर लौटा था।

7. घटना की तारीख से कुछ दिन पहले, अपीलार्थी-दोषी ने अपने बेटे (मृत इस्लामूद्दीन) को पीटा था और उस समय, नौशाद और इरशाद (मृत व्यक्ति) ने इस्लामूद्दीन को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। आईडी2 पर, लगभग आईडी1 बजे, पीडब्लू-2 शानू (दोषी का भाई) मृतक नौशाद से मिलने गया और पीडब्लू-4 (दोषी की बहन), इस्लामूद्दीन और इरशाद के साथ रात का खाना खाया। पीडब्लू-2 ने अपीलार्थी-दोषी इरफ़ान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य को भी आमंत्रित किया।

795

[जे. बी. पारदीवाला, जे.]

रात के खाने के लिए। अपीलार्थी-दोषी पी. डब्ल्यू.-4 और नौशाद के साथ एक ही घर में रहता था, लेकिन अलग तरीके से।

8. 05.08.2014 पर, लगभग 10.00 बजे, रात का खाना खत्म होने के बाद, पीडब्लू-4 ने पीडब्लू-2 को रात भर रहने के लिए कहा क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। नौशाद और इस्लामुद्दीन एक कमरे में सोते थे। चूंकि इरशाद छत पर सोना चाहता था, इसलिए अपीलार्थी-दोषी ने उसे कमरे के अंदर सोने की सलाह दी, क्योंकि मौसम खराब था। इस प्रकार, तीनों मृतक व्यक्ति एक कमरे में सो गए। 9. पीडब्लू-2 का दावा है कि जिस कमरे में तीनों मृतक सो रहे थे, उसका दरवाजा खुला था। हालांकि, पीडब्लू-4 के अनुसार, यह अंदर से बंद था। पीडब्लू-2 घटना स्थल से 200 मीटर की दूरी पर रहता था। यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने घटना स्थल, यानी घर पर पीडब्लू-2 की उपस्थिति पर विश्वास नहीं किया।

10. कहा जाता है कि 06.08.2014 को, लगभग 12.30 बजे, पीडब्लू-2 कमरे से आने वाले धुएँ और धुएँ को देखने के लिए जाग गया था, जहाँ मृतक व्यक्ति सो रहे थे। पीडब्लू-2 और उसकी बहन सोनी (पीडब्लू-4) का दावा है कि उन्होंने अपीलार्थी-दोषी को कमरे को चालू करते हुए और उसके बाद बाहर से दरवाजे की कुंडी बांधते हुए और भागते हुए देखा है।

11. अभियोजन पक्ष का मामला है कि पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 ने दरवाजा खोला और उस समय अपीलार्थी-दोषी को छत से सीढ़ियों की ओर भागते देखा। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अमजद और एक अन्य व्यक्ति शफी क्यू (दोनों से पूछताछ नहीं की गई) ने भी अपीलार्थी-दोषी को भागते हुए देखा।

12. पीडब्लू-1 (मूल प्रथम सूचना देने वाला-अपीलार्थी-दोषी का चाचा) घटना के समय अपने ही घर में अपने कमरे में सो रहा था। चाचा का घर घटना स्थल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है।

13. रिश्तेदार पहले इस्लामूद्दीन, इरशाद और नौशाद को एक वाहन में नजीबाबाद स्थित पूजा अस्पताल ले गए। अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया। इसके बाद तीनों घायलों को बिजनौर और मेरठ के अस्पतालों में ले जाया गया और उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली (आर. एम. एल. अस्पताल) में भर्ती कराया गया।

14. आई. डी. 1 को सुबह करीब 6.10 बजे तीनों घायलों को 796 बजे आर. एम. एल. अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में लाया गया।

/

[2023] 11 एस सी आर।

शफी क्यू अहमद (जाँच नहीं की गई)। सुबह 9 बजे, पीडब्लू-1 (प्रथम सूचना देने वाला) ने नजीबाबाद पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। एफ. आई. आर. में, प्रथम मुखबिर ने आरोप लगाया कि यह अपीलार्थी-दोषी था, जिसने अपने बेटे और दो असली भाइयों को उस समय फांसी पर लटका दिया, जब वे व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण सो रहे थे।

15. मृतक इरशाद की मृत्यु की घोषणा आर. एम. एल. अस्पताल में ए. एस. आई. द्वारा 07.08.2014 पर दर्ज की गई थी। इरशाद का निधन 09.08.2014 पर हुआ। इसी तरह, इस्लामूद्दीन की मृत्यु घोषणा 07.08.2014 पर दर्ज की गई थी। इस्लामूद्दीन का निधन 18.08.2014 पर हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि नौशाद की मृत्यु घोषणा दर्ज नहीं की जा सकी। नौशाद का भी 18.08.2014 पर निधन हो गया। मरने वाली दो घोषणाओं को ए. एस. आई. के मोबाइल में वीडियो-ग्राफ़ किया गया था।

16. एफ. आई. आर. के बल पर, जाँच शुरू की गई और निष्कर्ष पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजनौर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें ऊपर बताए गए तथ्यों को शामिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

17. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 436, 302 और 326-ए के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी के खिलाफ आरोप विरचित किए। अभियुक्त ने आरोप स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

18. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए:

एस. नहीं।	मौखिक साक्ष्य	गवाह।
1	मोहम्मद. यूनुस, चाचा और ससुर	पीडब्लू-1

/	शानू @शाहनवाज़, छोटे भाई	पीडब्लू-2
3	मोह डी। आई एम आर ए एन, डी ओन सेंट ए आई आर एस नेबर्स, (रिकवरी मेमो साबित करने के लिए जांच की गई)	पीडब्लू-3
/	सोनी, बहन	पीडब्लू-4
/	एसआई, नरेंद्र सिंह रावत, पुलिस चौकी, आरएमएल अस्पताल	पीडब्लू-5

इरफ़ान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 798 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

797

/	डॉ. सौ राव, आर. एम. एल. एच. ऑस्पी टी अल	पीडब्लू-6
7	डॉ. राहुल बैंड, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली	पीडब्लू-7
।	डी. आर. के. यू. एल. डी. ई. पी. ए. एन. सी. एच. ए. एल., एल. ए. डी. वाई. एच. ए. आर. डी. आई. एन. जी. ई. एम. ई. सी. ए. एल. सी. ओ. एल. ई. जी. ई., एन. ई. डब्ल्यू. डी. ई. एल. एच. आई.	पीडब्लू-8
/	विष्णु गोपाल उपाध्याय, एस.	पीडब्लू-9

	आई.	
10	आर. पी. यादव, निरीक्षक (सेवानिवृत्त)	पीडब्लू-10
/	डॉ. अरविंद कुमार, एसोसिएट प्रा. , ई. एन. एस. आई. सी. आई. सी. आई. एन. ई. के लिए, एल. ए. डी. वाई. एच. ए. आर. डी. आई. एन. जी. ई. एम. डी. आई. सी. ए. एल. सी. ओ. एल. ई. जी. ई., एन. ई. डब्ल्यू. डी. ई. एल. एच. आई.	पीडब्लू-11
/	डॉ. चरणजीत कौर, आरएमएल अस्पताल	पीडब्लू-12
/	आर आई वाई ए जेड-यू डी-डी आई एन के एच एन, सी ओ एन एस टी ए बी एल ई सी एल ई आर के 1 1 8 4	पीडब्लू-13

19. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए:

एस. नं.	विशिष्टताएँ	गवाह के साथ संख्या और नाम	संख्या प्रदर्शित करें।
1	या आई. जी. आई. एन. अल कॉम पी. एल. आई. एन. टी. दिनांकित 06.08.14	पीडब्लू-1, एम. ओ. एच. ए. एम. ए. डी. यूनस	केए-1 का प्रदर्शन करें
/	एफ. ओ. आर. ई. एन. एस. आई.	न्यायालय द्वारा दिनांकित 19.03.15 आदेश	केए-2 का प्रदर्शन करें

	सी. ई. लेबर एटोर वाई रे पोर्ट, आगरा दिनांक 08.12.14	के माध्यम से प्रदर्शित	
3	मृतक इरशाद दिनांक 07.08.14	पीडब्लू-5, ए. एस. आई. नरेंद्र सिंह रावत	केए-2 का प्रदर्शन करें
/	मृतक इरशाद के शव परीक्षण का अनुरोध फॉर्म दिनांक 10.08.14	पीडब्लू-5, ए. एस. आई. नरेंद्र सिंह रावत	का-3 का प्रदर्शन करें
/	मृतक नौशाद का शव परीक्षण दिनांक 18.08.14	पीडब्लू-5, ए. एस. आई. नरेंद्र सिंह रावत	का-4 का प्रदर्शन करें

/	मृतक इस्लामूद्दीन के बयान की प्रति दिनांक 07.08.14	पीडब्लू-5, ए. एस. आई. नरेंद्र सिंह रावत	केए-5 का प्रदर्शन करें
7	मृतक इस्लामूद्दीन दिनांक 07.08.14	पीडब्लू-5, ए. एस. आई. नरेंद्र सिंह रावत	केए-5 ए का प्रदर्शन करें
।	मृतक का शव परीक्षण आई. एस. एल. ए. एम. यू. डी. आई. एन. डी. ए. डी. 19.08.14	पीडब्लू-5, ए. एस. आई. नरेंद्र सिंह रावत	केए-6 का प्रदर्शन करें
/	इस्लामूद्दीन के शव की प्राप्ति 19.08.14	पीडब्लू-5 ए. एस. आई. नरेंद्र सिंह रावत	केए-7 का प्रदर्शन करें
10	मृत व्यक्ति की पहचान	पीडब्लू-5 ए. एस. आई. नरेंद्र सिंह रावत	का-8 का प्रदर्शन करें
/	इरशाद के मृत शरीर की रसीद दिनांक 10.08.14	पीडब्लू-5 ए. एस. आई. नरेंद्र सिंह रावत	केए-9 का प्रदर्शन करें
/	मृतक इरशाद का मेडिको लीगल केस शीट	पीडब्लू-6 डॉ. सौरव	केए-10 का प्रदर्शन करें

	दिनांकित 06.08.14		
/	मृतक नौशाद की मेडिकल लीगल सी. ए. एस. ई. शीट दिनांकित 06.08.14	पीडब्लू-6 डॉ. सौरव	केए-11 का प्रदर्शन करें
/	मृतक का मेडिको लीगल केस शीट आई. एस. एल. ए. एम. यू. डी. एन. डी. ए. टी. ई. डी. 6.08.14	पीडब्लू-6 डॉ. सौरव	केए-12 का प्रदर्शन करें
15	मृतक इस्लामूद्दीन की मेडि को एल एग अल पो सेंट मॉर्टम रिपोर्ट दिनांक 19.08.14	पीडब्लू-7 डॉ. राहुल बैड	का-10 ए का प्रदर्शन करें
/	मृतक इरशाद की मेडि को एल एग अल पो सेंट मॉर्टम रिपोर्ट दिनांक 10.08.14	पीडब्लू-7 डॉ. राहुल बैड	का-11 ए का प्रदर्शन करें

इरफ़ान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 800 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

799

17	डी. ई. सी. ई. ए. एस. ई. डी. एन. ए. यू. एस. एच. दिनांकित 18.08.14 की मीडिया को एल. ई. जी. अल पो. एस. टी. मॉर्टम रिपोर्ट	पीडब्लू-8 डी आर। के यू एल डी ई ई पी पांचाल	का-12 ए का प्रदर्शन करें
/		स्थल योजना दिनांक 06.08.14 पीडब्लू-9 एस.	केए-13 का प्रदर्शन करें

		आई. विष्णु गोपाल उपाध्याय	
19	पुनर्प्राप्ति ज्ञापन दिनांकित 06.08.14	पीडब्लू-9 एस. आई. विष्णु गोपाल उपाध्याय	का-14 का प्रदर्शन करें
/	चार्ज शीट d a t e d 28.09.14	पीडब्लू-10 इंस्पेक्टर आर. पी. यादव (सेवानिवृत्त)	ई एक्स एच आई बी आई टी केए 14-ए
21	मृतक इस्लामूद्दीन की मृत्यु रिपोर्ट दिनांक 18.08.14	पीडब्लू-12 डॉ. चरणजीत कौर	का-15 का प्रदर्शन करें
/	पीडब्लू-9 एस. आई. विष्णु गोपाल उपाध्याय	पीडब्लू-9 एस. आई. विष्णु गोपाल उपाध्याय	केए-16 का प्रदर्शन करें
23	चिक एफ़. आई. आर. डी. ए. टी. ई. डी. 06.08.14	पीडब्लू-13 कांस्टेबल क्लर्क रियाजुद्दीन खान	केए-17 का प्रदर्शन करें
/	कार्बन कॉपी जी. डी.	पी. डब्ल्यू.-13 आर. आई. वाई. ए. जेड. यू. डी. ई. एन. खान	का-18 का प्रदर्शन करें

20. मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के पूरा होने पर, आरोपी का बयान सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी ने कहा था कि वह निर्दोष था और उसे कथित अपराध में गलत तरीके से फंसाया गया था।

21. मौखिक के साथ-साथ अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने पर निचली विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी-दोषी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करने में सफल रहा है। तदनुसार, निचली विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-दोषी को ऊपर बताए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। 22. निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से असंतुष्ट होने के कारण अपीलार्थी-दोषी ने उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-दोषी की अपील को खारिज कर दिया और निचली विचारण न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा को स्वीकार कर लिया।

23. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी-दोषी वर्तमान अपीलों के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

एप्पलेंट के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

24. अपीलार्थी-दोषी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन ने जोरदार तरीके से कहा कि:

ए। निचली अदालतों ने इस तथ्य को दर्ज करने में एक गंभीर त्रुटि की कि अभियोजन पक्ष दोषी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करने में सक्षम रहा है।

बी। पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है और अपीलार्थी-दोषी को आरोपों का दोषी ठहराने के लिए निचली अदालतों द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उनमें से किसी को भी दोषपूर्ण परिस्थिति नहीं कहा जा सकता है। ग. मरने वाली दो घोषणाओं-इरशाद की एक और इस्लामूद्दीन की दूसरी-पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं और दो चश्मदीद गवाहों के ऑक्युलर संस्करण के साथ मेल खाते हैं।

घ. जिस तरह से मृत्यु की घोषणाओं को दर्ज किया गया, वह खुद के लिए बोलता है। वह प्रस्तुत करेगा कि मृत्यु घोषणा को सामान्य रूप से प्रश्न-उत्तर के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। जाँच अधिकारी ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट को मृत्यु घोषणाएँ दर्ज करने के लिए बुलाना भी उचित नहीं समझा। यह भी तर्क दिया गया कि घायल व्यक्तियों की स्थिति के संबंध में संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि कहा जाता है कि उन्होंने जांच अधिकारी के समक्ष मृत्यु घोषणाएं की हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या इरशाद और इस्लामूद्दीन बोलने की स्थिति में थे ताकि मृत्यु की घोषणा कर सकें? विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि सभी तीन मेडिको लीगल केस (एम. एल. सी.) रिपोर्ट, जो तैयार की गई थीं, में लिखा था "कोई बी. पी. पठनीय नहीं"। इरशाद और नौशाद 95 प्रतिशत जल गए थे, जबकि इस्लामूद्दीन दम घुटने से जल गए थे।

ड. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रार्थना की कि उसकी अपीलों में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुज्ञात जा सकती है और उच्च न्यायालय और निचली विचारण न्यायालय के निर्णय को दरकिनार कर दिया जाए और अपीलार्थी-दोषी को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाए।

राज्य के स्वयं के बारे में टिप्पणियां

25. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. ए. जी. श्री अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद ने इन अपीलों का जोरदार विरोध किया। उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया:

इरफान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 802

801

ए। यह कहा जा सकता है कि निचली अदालतों द्वारा अपीलार्थी-दोषी को उस अपराध के लिए दोषी ठहराने में विधि की त्रुटि की गई थी, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था।

बी। अपीलार्थी-दोषी के अपराध करने का एक मजबूत मकसद था। अपीलार्थी-दोषी की दूसरी शादी का उनके बेटे इस्लामूद्दीन ने विरोध किया था। चूंकि अपीलार्थी-दोषी अपने बेटे का त्याग

करना चाहता था, इसलिए उसके दो भाइयों नौशाद और इरशाद ने इसका विरोध किया। यही कारण है कि अपीलार्थी-दोषी के अपने ही बेटे इस्लामूद्दीन और अपने दो असली भाइयों नौशाद और इरशाद के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे।

ग. पीडब्लू-2 शानू उर्फ शाहनवाज और पीडब्लू-4 सोनी के मौखिक साक्ष्य को खारिज करने का कोई उचित कारण नहीं है।

घ. निचली अदालतों ने दोनों अंतिम घोषणाओं को सही और भरोसेमंद माना।

ड. निष्कर्ष निकालने के लिए, विद्वान वकील ने बताया कि अपीलार्थी-दोषी एक हिस्ट्रीशीटर है और बार-बार गंभीर अपराधों में लिप्त होने की प्रवृत्ति रखता है।

च. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण, उन्हें खारिज किया जा सकता है और दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा जा सकता है।

रिकॉर्ड पर मौखिक प्रमाण

26. मोहम्मद यूनुस (पीडब्लू-1) प्रथम सूचना देने वाला है। उसने अपदस्थ कर दिया है कि अपीलार्थी-दोषी उसका असली भतीजा है और उसका दामाद भी है। आई. डी. 2 की दरम्यानी रात को रात में लगभग आई. डी. 1 बजे, अपीलकर्ता ने अपने असली भाइयों, नौशाद और इरशाद को अपने बेटे इस्लामूद्दीन के साथ कमरे में सोते समय उन पर अत्यधिक सूजन वाला पदार्थ डाल कर गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बयान दिया है कि मृतक व्यक्तियों को सजा सुनाने के बाद, अपीलार्थी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इस्लामूद्दीन, नौशाद और इरशाद के चिल्लाने और चिल्लाने की आवाज सुनकर, उनके भाई अमजद और शफी क्यू और शानू सहित अन्य लोग पड़ोस से भागकर आए और दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद घायलों को नजीबाबाद के अस्पताल ले जाया गया।

27. शानू उर्फ शाहनवाज से पीडब्लू-2 के रूप में पूछताछ की गई। शानू अपीलार्थी-दोषी का छोटा भाई है। उन्होंने इसे 05.08.2014 पर अपदस्थ कर दिया है,

/

[2023] 11 एस सी आर।

देर शाम वह अपने भाई नौशाद से मिलने अपने पुराने घर गया था। नौशाद लंबे समय बाद सऊदी अरब से लौटे थे। उनकी छोटी बहन सोनी (पीडब्लू-4) ने उनके लिए खाना बनाया था और उन सभी ने एक साथ रात का खाना खाया था। उसका बड़ा भाई (दोषी) भी अपने रहने के स्थान से जमीन पर उतर आया था। दोषी को नौशाद और इरशाद से नफरत थी। जेल से रिहा होने के बाद दोषी ने जसपुरा शहर में अपनी दूसरी शादी की थी। अपनी दूसरी पत्नी के आने के बाद, दोषी अपने बेटे इस्लामूद्दीन को अलग करना चाहता था। घटना से दो दिन पहले दोषी ने इस्लामूद्दीन

पर भी हमला किया था, जिसे इरशाद और नौशाद ने सुलझा लिया था।आई. डी. 1 को दोषी की दूसरी पत्नी जसपुरा में अपने माता-पिता के घर गई थी।बड़ा भाई होने के नाते, उसने दोषी को अपने साथ भोजन करने के लिए कहा।रात के लगभग 11.00 बज रहे थे।उनकी बहन सोनी ने पीडब्लू-2 को रुकने के लिए कहा क्योंकि देर रात हो चुकी थी।नौशाद एक कमरे में सोया था। इस्लामुद्दीन कमरे में एक गद्दे पर सोते थे।जब इरशाद कमरे के बाहर छत पर सोने गया, तो दोषी ने इरशाद को कमरे के अंदर सोने के लिए कहा क्योंकि बाहर मौसम खराब था।इरशाद भी कमरे में इस्लामुद्दीन के बगल में सोया था।इस्लामुद्दीन, इरशाद और नौशाद एक कमरे में एक साथ सोते थे।उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था।पीडब्लू-2 और उनकी बहन सोनी बगल के कमरे में सोते थे।रात के लगभग 12.30 बजे, उन्होंने कमरे से धुआं और फ्लेम निकलते देखा, जिसमें तीनों मृतक सो रहे थे।फिर, उसने देखा कि दोषी ने उस कमरे में कुछ अत्यधिक सूजन वाला पदार्थ डाला था जिसमें इस्लामुद्दीन, इरशाद और नौशाद सो रहे थे और उसे पटिया पर रख दिया था।दोषी कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके भाग गया।तीनों बुरी तरह से जल गए थे। आर. एम. एल. अस्पताल में तीनों घायलों की मौत हो गई।जब दोषी ने दूसरी शादी की थी, तो इस्लामुद्दीन ने इसका विरोध किया था।उस समय दोषी ने इस्लामुद्दीन को पीटा था और धमकी दी थी कि वह उसे घर से निकाल देगा।

28. सोनी (पीडब्लू-4) से घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में पूछताछ की गई।उसने अपदस्थ कर दिया कि दोषी उसका असली भाई था।वह 05.08.2014 पर अपने घर पर मौजूद थी।उस दिन शाम को उन्होंने खुद भोजन तैयार किया था।उसके भाई, दोषी, नौशाद और इरशाद और उसका भतीजा इस्लामुद्दीन उसके घर की दूसरी मंजिल पर मौजूद थे।सबने साथ में खाना खाया।खाना खाने के बाद नौशाद और इस्लामुद्दीन बगल के कमरे में सोने चले गए और इरशाद कमरे के बाहर एक खाट पर सो रहा था।दोषी ने इरशाद को कमरे के अंदर सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर मौसम खराब था।इरशाद भी कमरे में इस्लामुद्दीन के बगल में सोया था।उन्होंने 803 को बंद कर दिया।

इरफान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 804

अंदर से कमरे का दरवाजा।दोषी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया।फिर कमरे से "बचाओ-बचाओ" चिल्लाते हुए आए और कमरे के अंदर फूलों को देखा गया।जब उसने कमरा खोला तो उसने देखा कि दोषी सीढ़ियों की ओर भाग रहा था।अमजद और शफी क्यू ने दोषी को भागते हुए देखा।उन सभी ने जलता हुआ कमरा देखा।दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने नौशाद, इरशाद और इस्लामुद्दीन को बाहर निकाल लिया।तीनों बुरी तरह से जल गए थे।उनके पैरों की खाल फूल पर अटक गई।वे तीनों घायलों को एक वाहन में पूजा अस्पताल ले गए।भर्ती करने से इनकार करने पर उन्हें बिजनौर, उसके बाद मेरठ और मेरठ से आर. एम. एल. अस्पताल ले जाया गया।यात्रा के दौरान उसके भाई और भतीजा बात कर रहे थे।उसके भाइयों और भतीजे ने कहा कि दोषी ने पेट्रोल डाल कर कमरे में आग लगा दी, जिसके कारण वे सभी जल गए।दिल्ली के आर. एम. एल. अस्पताल में तीनों की मौत हो गई।जेल से बाहर आने के बाद दोषी ने दूसरी

शादी कर ली थी। उनके भाइयों इरशाद, नौशाद और भतीजे इस्लामुद्दीन ने इसका विरोध किया था। दोषी इस्लामुद्दीन को उनके घर से बाहर निकालना चाहता था। उनके भाई इरशाद, नौशाद ने इस्लामुद्दीन का पक्ष लिया। इस कारण से, दोषी ने उन सभी को पेट्रोल डालकर जला दिया, उन्हें आग लगा दी और उन्हें मारने के लिए कमरे को बाहर से बंद कर दिया।

29. अपनी जिरह में, उसने कहा कि जहाँ तक उसकी जानकारी है, इस्लामुद्दीन और नौशाद ने कमरे को अंदर से बंद कर दिया था। जिस कमरे में वह सो रही थी, वह बाहर से बंद नहीं था। जिस कमरे में इस्लामुद्दीन और नौशाद सो रहे थे, उसके अलावा कोई और कमरा बाहर से बंद नहीं था।

30. ए. एस. आई. नरेंद्र सिंह रावत का पी. डब्ल्यू-5 के रूप में परीक्षण किया गया। इरशाद (भूतपूर्व) की मृत्यु घोटानाओं को साबित करने के लिए उनकी जाँच की गई थी। के. ए. 2) और इस्लामुद्दीन (एक्स. Ka.5A) उनके द्वारा दर्ज किया गया। उन्होंने बयान दिया है कि 19.08.2014 पर उन्हें नई दिल्ली के आर. एम. एल. अस्पताल की पुलिस चौकी पर तैनात किया गया था। इरशाद, नौशाद और इस्लामुद्दीन को आर. एम. एल. अस्पताल में आई. डी. 1 पर भर्ती कराया गया था। उन्होंने 07.08.2014 पर इरशाद का बयान दर्ज किया, जिसने बताया कि वे पूरे परिवार के साथ रहते थे। वह मोबाइल फोन की दुकान चलाता था। आई. डी. 2 पर, जब वह और उसका बड़ा भाई नौशाद और भतीजा इस्लामुद्दीन अपने घर में सो रहे थे, रात में लगभग आई. डी. 1 पर, उसके भाई इरफान/दोषी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और कमरे को अंदर से कुछ सूजन वाले पदार्थ के साथ चालू कर दिया। जिसके कारण, वे गंभीर रूप से जल गए। पड़ोसियों ने काफी देर बाद उन्हें कमरे से बाहर निकाला और अंदर भर्ती कराया।

/

[2023] 11 एस सी आर।

पूजा अस्पताल, नजीबाबाद। वहाँ से उन्हें इलाज के लिए आर. एम. एल. अस्पताल भेजा गया। यह बयान मृतक इरशाद ने दिया था। पेपर नंबर 13, मामले में नेतृत्व, उनकी लिखावट और हस्ताक्षर में था। उन्होंने इरशाद के अंगूठे के निशान प्राप्त किए थे, जिसकी पहचान उन्होंने की थी। इसे Ex के रूप में चिह्नित किया गया था। केए-2। इरशाद की मृत्यु 09.08.2014 को 07.30 बजे हुई। शव को 10.08.2014 पर पोस्टमॉर्टम के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमॉर्टम के बाद, शव को उचित पहचान के बाद उसके रिश्तेदारों सदाकत और शाहनवाज को सौंप दिया गया। मृतक नौशाद की मृत्यु 18.08.2014 पर 08.40 बजे हुई। उसी दिन उनका पोस्टमॉर्टम किया गया और शव उनके रिश्तेदार को सौंप दिया गया। उन्होंने मृतक इस्लामुद्दीन का बयान भी दर्ज किया था। उसने कहा था कि दोषी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था और कमरे में अंदर से किसी उत्तेजक पदार्थ के साथ आग लगा दी थी, जिसके कारण वह, उसके चाचा इरशाद और नौशाद जल गए थे। उनके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने उन्हें बचा लिया। पीडब्लू-5 ने मृतक का बयान 07.08.2014 पर दर्ज किया, जो

उसके हस्ताक्षर और हस्ताक्षर के अंतर्गत दर्ज किया गया था।उसी को Ex के रूप में चिह्नित किया गया था। केए-5।इस्लामूद्दीन की मृत्यु 18.08.2014 को 09.15 बजे हुई।उनका पोस्टमॉर्टम 19.08.2014 पर किया गया था।पोस्टमॉर्टम के बाद तीनों के शव शाहनवाज और सदाकत को सौंप दिए गए।

31. अपनी जिरह में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच नहीं की थी।न तो दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी ने और न ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किया।उन्होंने मृतक इरशाद और इस्लामुद्दीन के बयान 07.08.2014 पर दर्ज किए थे। उन्होंने अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में दोनों के बयान दर्ज कराए थे।बयान दर्ज करने के समय उनके और मृतक व्यक्तियों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था।जब उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया तो वे दोनों बुरी हालत में थे।का-2 प्रदर्शित करें और का-5 प्रदर्शित करें, इस्लामूद्दीन के बयान पर उनके और मृतक के अलावा किसी और के अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर नहीं हैं। केए-2 और एक्स प्रदर्शित करें। केए-5 पर दोनों मृतक की शारीरिक स्थिति के संबंध में डॉक्टर से कोई प्रमाण पत्र नहीं है।Ex. केए-2 और एक्स। केए-5 बयान दर्ज करते समय मृतक की शारीरिक स्थिति के संबंध में उसका समर्थन नहीं करता है।दो मृत्यु घोषणाओं की रिकॉर्डिंग में 15-20 मिनट का समय अंतराल था।दोनों एक ही दिन और एक ही स्थान पर लिखे गए थे। पीडब्लू-5 ने केवल दो बयान लिखे थे।बयान दर्ज करने में अलग-अलग पेन का उपयोग किया जाता था, लेकिन मृतक के अंगूठे के निशान प्राप्त करने के लिए, एक स्याही पैड का उपयोग किया जाता था।

इरफ़ान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 806 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

805

32. ए. एस. आई. नरेंद्र सिंह रावत पीडब्लू-5 को दिनांकित 15.04.2017 के आदेश के अनुपालन में 28.04.2017 पर पुनः परीक्षा के उद्देश्य से वापस बुलाया गया था।कि 07.08.2014 पर उन्हें आर. एम. एल. अस्पताल में तैनात किया गया था।उस दिन उन्होंने बिजनौर जिले के नजीबाबाद के मोहल्ला मुगलुशाह के निवासी लगभग 16 साल के दोषी के बेटे इस्लामूद्दीन का बयान दर्ज किया था।इस्लामुद्दीन बयान देने की हालत में था।उन्होंने अपने बयान को शब्द दर शब्द दर्ज किया था जैसा कि उन्होंने कहा था।बयान पर उनके अंगूठे का निशान लगाया गया था।अंगूठे का निशान उनके द्वारा पहचाना गया था।बयान पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी किए थे।न्यायालय में उनका बयान पहले भी दर्ज किया जा चुका है।

33. अपीलार्थी-दोषी ने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में खुद की जाँच की।उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि उनके माता-पिता के पांच बच्चे थे।वे सबसे बड़े थे, उनके भाई शानू, इरशाद और नौशाद थे और एक बहन सोनी थी।इस्लामूद्दीन का जन्म उनकी पहली पत्नी इशरत से हुआ था।उसकी पहली पत्नी ने उसका घर छोड़ दिया था क्योंकि उसके भाई संपत्ति के संबंध में उससे झगड़ा करते थे।उस समय, जब उनकी पहली पत्नी ने घर छोड़ा, इस्लामूद्दीन की उम्र लगभग 10 साल

थी।उसके भाई और बहन इस्लामूद्दीन की कम उम्र का अनुचित लाभ उठा रहे थे और उसकी माँ उन्हें छोड़ रही थी।फायदा उठाते हुए उन्होंने उसे एक झूठे मामले में जेल भेज दिया।वह घटना से तीन साल पहले जेल से बाहर आया था।इन तीन वर्षों के दौरान, उन्होंने किसी भी पड़ोसी या मोहल्ला के किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा नहीं किया।इस घटना से डेढ़ साल पहले उसने एक और महिला से शादी की थी।उसकी बहन भी संपत्ति को लेकर उसकी दूसरी पत्नी से अक्सर झगड़ा करती थी, जिसके कारण वह अपना घर छोड़ कर चली जाती थी।उसने अपदस्थ कर दिया है कि उसके भाई, मृतक इरशाद और नौशाद और उसका बेटा इस्लामूद्दीन उसे एक कमजोर व्यक्ति मानते थे और संपत्ति हड़पने के लिए, वे सभी मेरे भाइयों और बेटे को मारने के लिए मिले हुए थे।यह पता नहीं था कि किसके माध्यम से उन्होंने उन्हें मार डाला।उन्होंने उसे इस मामले में झूठा फंसाया।वह डर के कारण घटना स्थल से भाग गया क्योंकि वह हाल ही में जेल से रिहा हुआ था।

मरने की घोषणाएँ:

34. अब हम मरने वाली दो घोषणाओं पर गौर करेंगे।

35. मृतक इरशाद ने 07.08.2014 पर दर्ज अपनी मृत्यु घोषणा में इस प्रकार कहा:

“इरशाद का वक्तव्य, एस/ओ-मो। अयूब, निवासी मोहल्ला-मुगलुशाह, पी. एस. नजीवाबाद, जिला-बिजनौर, यू. पी., आयु-**20** वर्ष।

उन्होंने कहा कि मैं ऊपर बताए गए स्थान पर रह रहा हूँ।मैं नजीवाबाद में मोबाइल फोन की दुकान चला रहा हूँ।मैं अपने भाई नौशाद और भतीजे इस्लामूद्दीन के साथ घर में सो रहा था।हम एक ही कमरे में सो रहे थे।फिर रात में लगभग मेरे भाई इरफान ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में कुछ सूजन वाले पदार्थ के साथ आग लगा दी।जैसे ही कमरा फ़ायर पर था, हमने शोर मचाया।हम सभी गंभीर रूप से जल गए और लंबे समय के बाद पड़ोसियों ने हमें कमरे से बाहर निकाला और उन्होंने हमें पूजा अस्पताल, नजीवाबाद में भर्ती कराया।पहली सहायता के बाद उन्होंने हमें नई दिल्ली के डॉ. आर. एम. एल. अस्पताल में भर्ती कराया और मेरा इलाज यहां जारी है।बयान सुना, यह सही है। ”

36. मृतक इस्लामूद्दीन ने 07.08.2014 पर दर्ज अपनी मृत्यु घोषणा में इस प्रकार कहा:

“इस्लामूद्दीन, एस/ओ-इरफान, आर/ओ-मोहल्ला-मुगलुशाह, पी. एस. नजीवाबाद, डिस्ट्रिक्ट-बिजनौर, यू. पी., आयु-**16** वर्ष का वक्तव्य।

उन्होंने कहा कि मैं ऊपर बताए गए स्थान पर रह रहा हूँ।मैं नजीवाबाद में मोबाइल फोन की दुकान चला रहा हूँ।मैं अपने चाचा इरशाद और नौशाद के साथ घर में सो रहा था।हम एक ही कमरे में सो रहे थे।फिर रात में लगभग मेरे पिता इरफान ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में कुछ सूजन वाले पदार्थ के साथ आग लगा दी।कमरा चालू होने के बाद, हमने शोर मचाया।हम सभी गंभीर रूप से जल गए और लंबे समय के बाद पड़ोसियों ने हमें कमरे से बाहर

निकाला और उन्होंने हमें पूजा अस्पताल, नजीबाबाद में भर्ती कराया। पहली सहायता के बाद उन्होंने हमें नई दिल्ली के डॉ. आर. एम. एल. अस्पताल में भर्ती कराया और मेरा इलाज यहां जारी है। बयान सुना, यह सही है। "

विश्लेषण

37. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र प्रश्न जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या अभियोजन पक्ष को अपीलार्थी-दोषी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए कहा जा सकता है।

इरफान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 808

807

38. समवर्ती निर्णयों के विरुद्ध आपराधिक अपीलों में इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय द्वारा संक्षेपित सिद्धांतों द्वारा सीमित है।

एमएसटी में। दलबीर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1976) 4

एस. सी. सी. 158, पैरा 8, निम्नानुसार है:

"8. इस प्रकार विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है: (1) कि यह न्यायालय साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भले ही वह साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण ले;

(2) कि न्यायालय आम तौर पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन या समीक्षा नहीं करेगा, जब तक कि उच्च न्यायालय का मूल्यांकन विधि या प्रक्रिया की त्रुटि से दूषित नहीं होता है या रिकॉर्ड की त्रुटि, साक्ष्य के गलत पढ़ने या साक्ष्य के साथ असंगत नहीं होता है, उदाहरण के लिए, जहां नेत्र साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत है और इसी तरह;

(3) कि न्यायालय उच्च न्यायालय की राय के स्थान पर अपनी राय रखने की दृष्टि से साक्ष्य की विश्वसनीयता में प्रवेश नहीं करेगा;

(4) कि न्यायालय हस्तक्षेप करेगा जहां उच्च न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या निष्पक्ष सुनवाई की अवहेलना करते हुए तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंच गया है या विधि या प्रक्रिया के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय हुआ है;

(5) यह न्यायालय वहां भी हस्तक्षेप कर सकता है जहां सिद्ध तथ्यों पर विधि के गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं और बिना किसी सबूत के आधारित हैं। "

(बल दिया गया)

मरने की घोषणाएं-ए-वीज़-रिकॉर्ड पर नेत्र-साक्षियों का मौखिक प्रमाण

39. अभिलेख पर सामग्री के संचयी मूल्यांकन पर जो तस्वीर सामने आती है, वह यह है कि अपीलार्थी-दोषी ने अपनी पहली शादी के विवाह में पैदा हुए अपने बेटे इस्लामूद्दीन (मृतक) के साथ तनावपूर्ण संबंध बनाए थे।

/

[2023] 11 एस सी आर।

इशरत।अपने दो भाइयों (मृत व्यक्तियों) के साथ भी उनके संबंध तनावपूर्ण थे।अपीलार्थी-दोषी द्वारा सामने रखा गया बचाव यह है कि संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से, पीडब्लू-2 शानू उर्फ शाहनवाज़, पीडब्लू-4 सोनी और अन्य लोगों ने मृतक व्यक्तियों को खत्म करने की साजिश रची और उसके बाद, अपराध करने का पूरा दोष अपीलार्थी-दोषी पर फेंक दिया।यह घटना रात के समय हुई।तीनों मृतक एक कमरे में सो रहे थे।कहा जाता है कि पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 घर के बगल के कमरे में सो रहे थे।कहा जाता है कि अपीलार्थी-दोषी ने उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था जिसमें मृतक व्यक्ति सो रहे थे।उन्होंने कमरे में सुगंधित पदार्थ डाला और कमरे को फिर से सजाया।तीन मृत व्यक्तियों को गंभीर रूप से जलने की चोटें आईं और अंततः उनकी मौत हो गई।कहा जाता है कि इस्लामूद्दीन और इरशाद ने ए. एस. आई. के समक्ष अपनी मृत्यु घोषणाएं दी थीं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।नौशाद की मृत्यु घोषणा क्यों दर्ज नहीं की जा सकी, यह स्पष्ट नहीं है।मरने वाले दो बयानों को बारीकी से देखने से संकेत मिलता है कि इरशाद और इस्लामूद्दीन ने गंभीर रूप से जलने पर शोर मचाया और उन्हें पड़ोसी द्वारा कमरे से बाहर ले जाया गया।यह पड़ोसी कौन है, जिसका वे अपनी मृत्यु घोषणाओं में उल्लेख कर रहे हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है?साथ ही, यह ध्यान रखना उचित है कि इरशाद और इस्लामुद्दीन अपनी-अपनी मृत्यु घोषणाओं में पीडब्लू-2 शानू उर्फ शाहनवाज़ और पीडब्लू-4 सोनी की उपस्थिति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहते हैं।ये दोनों गवाह दो मृत्यु घोषणाओं में विश्वास नहीं करते हैं।यह भी ध्यान देने योग्य है कि दोनों मृत्यु घोषणाओं में यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लंबे समय के बाद एक पड़ोसी उनके बचाव में आया और उन्हें जलते हुए कमरे से बाहर ले गया।

40. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अगर हम पीडब्लू-2 शानू उर्फ शाहनवाज़ के मौखिक साक्ष्य को देखें तो उनके अनुसार, उन्होंने अपनी बहन सोनी (पीडब्लू-4) के साथ उस कमरे में देखा जिसमें मृतक व्यक्ति सो रहे थे।पीडब्लू-4 के अनुसार, उसने अपीलार्थी-दोषी को मिट्टी का तेल डालते हुए और उस कमरे को स्थापित करते हुए भी देखा जिसमें मृतक व्यक्ति सो रहे थे।पीडब्लू-2 ने भी गवाह होने का दावा किया है, अपीलार्थी-दोषी बाहर से दरवाजे की कुंडी बांधता है और उसके बाद उस जगह से भाग जाता है।इसी तरह, अगर हम पीडब्लू-4 सोनी के मौखिक साक्ष्य को बारीकी से देखें, तो उनके अनुसार कमरे में एफ. आई. आर. के एफ. एल. एम. एस. को देखकर, जिसमें मृतक व्यक्ति सो रहे थे, उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और देखा कि

अपीलार्थी-दोषी छत से सीढ़ियों की ओर भाग रहा था।पीडब्लू-4 का दावा है कि अमजद और शफी क्यू 809

इरफान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 810

अपीलार्थी-दोषी को भागते हुए भी देखा।अमजद और शफी क्यू से अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में पूछताछ नहीं की गई है।यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत अमजद और शफी क्यू के बयान भी दर्ज किए हैं या नहीं?

41. अगर पी. डब्ल्यू.-2 और पी. डब्ल्यू.-4 उस समय मौजूद थे जब कमरा चालू था और वही थे जिन्होंने दरवाजा खोला और तीन मृत व्यक्तियों को बाहर निकाला, तो पी. डब्ल्यू.-2 और पी. डब्ल्यू.-4 इरशाद और इस्लामूद्दीन की अंतिम घोषणाओं में क्यों नहीं हैं?इस्लामूद्दीन और इरशाद ने अपनी मृत्यु घोषणाओं में क्यों कहा कि लंबे समय के बाद, पड़ोसी उनके बचाव में आया और उन्हें कमरे से बाहर ले गया?अगर कोई पड़ोसी उन्हें बचाने आया तो घटना के समय पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 कहां थे?पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 ने बयान दिया है कि वे दोनों उस कमरे से सटे कमरे में सो रहे थे जिसमें मृतक व्यक्ति सो रहे थे।यह मामले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अभियोजन पक्ष स्पष्ट या स्पष्ट नहीं कर पाया है।42. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, हमारे पास या तो मरने वाली घोषणाओं या घटना के दो तथाकथित चश्मदीद गवाहों के मौखिक साक्ष्य पर विश्वास करने के लिए छोड़ दिया जाता है।यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू-4 सोनी ने अपनी जिरह में कहा है कि जहाँ तक उनकी जानकारी है, इस्लामूद्दीन और नौशाद ने अंदर से कुंडी लगा दी थी।यदि कमरे का दरवाजा, जिसमें मृतक व्यक्ति सो रहे थे, अंदर से बंद था, तो अपीलार्थी-दोषी दरवाजा खोलने और कमरे में प्रवेश करने में कैसे कामयाब रहा ताकि आरोप के अनुसार कमरे को चालू किया जा सके?

43. मृत्यु घोषणा की स्वीकार्यता के बारे में न्यायिक सिद्धांत यह है कि ऐसी घोषणा चरम सीमा में की जाती है, जब पक्ष मृत्यु के बिंदु पर होता है और जब इस दुनिया की हर आशा समाप्त हो जाती है, जब झूठ का हर उद्देश्य चुप हो जाता है, और आदमी केवल सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार से प्रेरित होता है।इसके बावजूद, कई परिस्थितियों के अस्तित्व के कारण साक्ष्य की इस प्रजाति को दिए जाने वाले महत्व पर विचार करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जो उनकी सच्चाई को प्रभावित कर सकती हैं।जिस स्थिति में एक आदमी मृत्युशय्या पर होता है वह इतनी गंभीर और शांत होती है, यही उसके बयान की विधि को स्वीकार करने का कारण है।यही कारण है कि शपथ और प्रतिपरीक्षा की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है।चूँकि अभियुक्त के पास प्रतिपरीक्षा की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए न्यायालय ें इस बात पर जोर देती हैं कि मृत्यु घोषणा ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए जिससे न्यायालय को अपनी सच्चाई और शुद्धता पर पूरा विश्वास हो।द.

हालाँकि, न्यायालय को यह देखने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि मृतक का बयान या तो शिक्षण या उकसाने या कल्पना के परिणाम के रूप में नहीं था।[देखिए:लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2002) 6 एससीसी 710]44. जिस तरीके और तरीके से मरने वाली घोषणाओं को दर्ज किया गया, वह भी कुछ ऐसा है जो इसकी सच्चाई और विश्वसनीयता के संबंध में संदेह पैदा करता है।हालाँकि, जाँच अधिकारी का कहना है कि मरने वाली घोषणाओं की रिकॉर्डिंग वीडियो-ग्राफ़ की गई थी और सीडी को सबूत के रूप में प्रदर्शित किया गया है, फिर भी इसका प्रमाणिक मूल्य निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

45. हमें घटना की उत्पत्ति को एक अलग कोण से भी देखना चाहिए।यह विवाद में नहीं है कि तीनों मृतकों की मौत गंभीर रूप से जलने के कारण हुई थी।यह भी विवाद में नहीं है कि जिस कमरे में वे सो रहे थे, उसमें आग लग गई थी, जिसके कारण वे गंभीर रूप से जल गए थे।यह भी विवाद में नहीं है कि कमरे से मिट्टी के तेल जैसे इन्फ्लेमेबल पदार्थ पाए गए थे जिससे कमरे में आग लग गई थी।हालाँकि, प्रश्न यह है कि कमरे को फिर से कौन स्थापित करता है?क्या यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में सक्षम रहा है कि यह केवल और केवल अपीलार्थी-दोषी था जिसने ज्वलनशील पदार्थ डाल कर कमरे को चालू किया था?46. हमें ऐसा लगता है कि जिसने भी यह कार्य किया, तीन मृत व्यक्तियों पर सीधे सूजन युक्त पदार्थ नहीं डाला गया था या छिड़का नहीं गया था।अगर ऐसा होता, तो वे तुरंत जाग जाते और जब तक कमरा कमरे में बैठ जाता, तब तक वे भाग जाते या अपराधी को पकड़ लेते।ऐसा प्रतीत होता है कि कमरे के फ्लोर पर इन्फ्लेमेबल पदार्थ डाला गया होगा और उसके बाद, फ़ायर को प्रज्वलित किया गया होगा।एक बार जब कमरा चालू हो जाता है, तो कमरे को चालू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति तुरंत उस जगह को छोड़ देता है।हमें यह विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है कि अपीलार्थी-दोषी अभी भी कमरे के अंदर या कमरे के बाहर था जिसे मृतक व्यक्तियों के साथ-साथ पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 द्वारा देखा जाना था, कमरे को बंद करने के बाद कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया था।अभियुक्त का आचरण अप्राकृतिक हो सकता है क्योंकि वह एक ही घर में रह रहा था, हालाँकि, वह आचरण जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में, 'अधिनियम 1872') की धारा 8 के अंतर्गत एक प्रासंगिक तथ्य हो सकता है, अपने आप में किसी व्यक्ति को हत्या का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

इरफान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 812

811

47. अभिलेख पर सामग्री के समग्र मूल्यांकन पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि न तो दो मृत्यु घोषणाएं किसी भी विश्वास को प्रेरित करती हैं और न ही क्रमशः पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 के मौखिक साक्ष्य किसी भी विश्वास को प्रेरित करते हैं।यदि मरने वाली घोषणाओं की पुष्टि पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 के मौखिक साक्ष्य से होती, तो शायद, यह पूरी तरह से एक अलग परिदृश्य होता।हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दोनों मृत्यु घोषणाएं रिकॉर्ड पर मौखिक

साक्ष्य के अनुरूप या विरोधाभासी नहीं हैं।**48.** मृत्यु घोषणा के साथ जुड़ी पवित्रता/धारणा के लिए औचित्य दो गुना है; (i) नैतिक और धार्मिक रूप से यह माना जाता है कि एक व्यक्ति मौत के कगार पर रहते हुए झूठ नहीं बोलेगा, जबकि (ii) सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोण से यह ऐसी स्थिति से निपटने के लिए है जहां अपराध का एकमात्र गवाह उपलब्ध नहीं है।

49. सबसे शुरुआती न्यायिक घोषणाओं में से एक जहां उपरोक्त नियम का पता लगाया जा सकता है, वह है राजा बनाम विलियम वुडकॉक का राजा की पीठ का निर्णय (1789) 1 लीच 500 में रिपोर्ट किया गया:168 ई. आर. 352, जहाँ एक मरती हुई महिला ने अपने पति को अपनी प्राणघातक चोटों के लिए दोषी ठहराया, जिसमें न्यायाधीश आयर ने इस घोषणा को अवलोकन करके स्वीकार्य ठहराया:-

“...जिस सामान्य सिद्धांत पर इस प्रजाति के साक्ष्य को स्वीकार किया जाता है, वह यह है कि वे चरम सीमा में की गई घोषणाएं हैं, जब पक्ष मृत्यु के बिंदु पर होता है और जब इस दुनिया की हर आशा समाप्त हो जाती है:जब झूठ का हर मकसद चुप रहता है, और मन सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार से प्रेरित होता है, तो इतनी गंभीर और इतनी भयानक स्थिति को विधि द्वारा उस दायित्व के बराबर माना जाता है जो न्यायालय में एक सकारात्मक शपथ द्वारा लगाया जाता है।(ख) लेकिन इन घोषणाओं के संबंध में एक अस्पष्ट पंथ भी उत्पन्न होता है; क्योंकि यह प्रकट नहीं हुआ है और यह पता लगाना असंभव लगता है कि क्या मृतक को खुद आशंका थी कि वह नैतिकता की ऐसी स्थिति में थी जो अनिवार्य रूप से उसे अपने दावों की सच्चाई या झूठ के लिए अपने निर्माता के सामने जल्द ही जवाब देने के लिए बाध्य करेगी।... न्या। इस प्रकार की गई घोषणाएं निश्चित रूप से श्रेय की हकदार हैं; इसलिए उन्हें साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए:लेकिन जिस हद तक श्रेय के वे हकदार हैं, वह मामले की सभी परिस्थितियों अंतर्गत हमेशा जूरी के गंभीर विचार का विषय होना चाहिए। ”

(बल दिया गया)

/

[2023] 11 एस सी आर।

50. दिलचस्प बात यह है कि न्यायाधीश आयर का अंतिम अवलोकन, इस सिद्धांत की शुरुआत में भी, दर्शाता है कि न्यायालय मृत्यु घोषणाओं की अंतर्निहित कमजोरी से सावधान थे और उन्हें बहुत सावधानी बरतने के लिए आगाह किया गया था।**51.** टेलर द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण नहीं है कि

“हालाँकि ये घोषणाएँ, जब जानबूझकर आसन्न मृत्यु की गंभीर भावना के अंतर्गत की जाती हैं, और ऐसी परिस्थितियों से संबंधित होती हैं जिनमें मृतक के गलत होने की संभावना नहीं होती है, तो वे बड़े महत्व के हकदार होते हैं, यदि सटीक रूप से पहचाना जाता है, तो यह हमेशा याद रखना चाहिए कि अभियुक्त के पास प्रतिपरीक्षा की शक्ति नहीं है, जो सच्चाई को उजागर करने के

लिए उतनी ही आवश्यक शक्ति है जितनी कि एक शपथ का दायित्व हो सकता है, और यह कि, जहां एक गवाह को अपने निर्माता के प्रति जवाबदेही की गहरी भावना नहीं है, क्रोध या बदला लेने की भावना, या आपसी टकराव के मामले में, अपने स्वयं के कदाचार की जांच करने की स्वाभाविक इच्छा, उसके बयानों की सटीकता को प्रभावित कर सकती है और पूरे बयान को गलत रंग दे सकती है।

लेन-देन।...".[देखिए:"ट्रीटीज ऑन द विधि ऑफ एविडेंस" पर टेलर, 1931,12 वां संस्करण पृष्ठ। 462]

52. कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम वॉल्यूम एक्सएल, पेज 1283 में यह देखा गया है कि:

"मृत्यु घोषणाओं को तौलने में, जूरी उन परिस्थितियों पर विचार कर सकती है जिनके अंतर्गत वे किए गए थे, जैसे कि क्या वे बाहरी प्रवाह के कारण थे या बदला लेने की भावना से किए गए थे, या जब घोषणाकर्ता तथ्यों को बताने में असमर्थ या अनिच्छुक था, घोषणाओं का असंगत या विरोधाभासी चरित्र, और यह तथ्य कि मृतक उपस्थित नहीं हुआ है और आरोपी को उससे जिरह करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है, और उन्हें वह श्रेय और वजन दे सकता है जिसके बारे में वे मानते हैं कि वे सभी परिस्थितियों में उचित और उचित रूप से हकदार हैं। "

53. भारत में अधिनियम 1872 की धारा 32 के प्रासंगिक प्रावधान में, सुनी-सुनाई गवाही की स्वीकार्यता के खिलाफ नियम का पहला अपवाद निम्नानुसार है:

"32(1).जब यह मृत्यु के कारण से संबंधित हो।— जब बयान

किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण के बारे में, या लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है।इस तरह के बयान प्रासंगिक हैं चाहे वह व्यक्ति जिसने उन्हें बनाया था या नहीं, उस समय जब उन्हें बनाया गया था, मृत्यु की उम्मीद अंतर्गत , 813

इरफ़ान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 814 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

और उस कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो जिसमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है। "

54. जॉन आर. वाल्ट्ज, अमेरिकी न्यायविद ने कहा कि, "यह सोचा गया है,

सही या गलत रूप से, कि मृत्यु घोषणाओं में विश्वसनीयता का आंतरिक आश्वासन होता है, जिससे प्रतिपरीक्षा अनावश्यक हो जाती है।धारणा यह है कि एक व्यक्ति जो मरने की प्रक्रिया में है, और इसे जानता है, अपने निर्माता से मिलने के लिए प्रस्थान करने से तुरंत पहले सच्चा होगा। (बेशक, इन सुनी-सुनाई अपवादों की वैधता कुछ बहस के लिए खुली है।उस व्यक्ति के बारे में क्या जो गहराई से धार्मिक नहीं है?उस व्यक्ति के बारे में क्या जो अपने अंतिम कार्य के रूप में,

जीवन भर के दुश्मन को अपने हत्यारे के रूप में झूठा नाम देकर बदला लेना चाहता है? मरने वाले व्यक्ति की धारणा और स्मृति कितनी विश्वसनीय है?)” [देखिए: वाल्ट्ज, जे. आर.]

(1975) आपराधिक साक्ष्य, शिकागो: नेल्सन-हॉल। पीपी। 75-76]

55. नेविल नेम्बहार्ड बनाम द क्वीन में प्रिवी काउंसिल ने बताया

(1982) 1 ए. आई. आई. ई. आर. 183 में, अधिनियम 1872 की धारा 32 (1) पर राय दी गई कि भारतीय विधि के अंतर्गत मृत्यु घोषणा के साक्ष्य में सामान्य विधि की तरह विशेष गुण का अभाव है और इसलिए, अधिनियम 1872 की धारा 32 के अंतर्गत स्वीकार की गई मृत्यु घोषणा के साथ जोड़ा जाने वाला भार अनिवार्य रूप से सामान्य विधि नियमों के अंतर्गत स्वीकार की गई मृत्यु घोषणा के साथ संलग्न वजन से कम होगा।

56. नेम्बहार्ड (उपरोक्त) के निर्णय से निम्नलिखित उद्धृत टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण नहीं हैं:

“पूर्वी अफ्रीका के लिए अपील न्यायालय में तय किए गए सभी तैयार उल्लिखित मामलों के संबंध में अंतिम अवलोकन किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार का नियम विकसित किया गया है कि जब एक मृत्यु घोषणा ही एकमात्र सबूत होता है जो एक अभियुक्त व्यक्ति को निहित करता है, तो दोषसिद्धि को आमतौर पर वहाँ खड़े होने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है जहाँ पुष्टि की आवश्यकता पर चेतावनी देने में विफलता हुई थी: उदाहरण के लिए पायस जसुंगा एस/ओ अकुमु बनाम द क्वीन (1954) 21 E.A.C.A. 331 और तेरिकाबी बनाम युगांडा [1975] ई. ए. 60 देखें। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संबंधित देशों में, मृत्यु घोषणा की स्वीकार्यता सामान्य विधि परीक्षण पर निर्भर नहीं करती है: मृतक के पास उस समय आसन्न मृत्यु की एक स्थिर निराशाजनक उम्मीद थी। इसके बजाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 (1) में बहुत अलग वैधानिक प्रावधान निहित है। उस खंड में यह प्रावधान किया गया है कि मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रासंगिक तथ्यों के बयान स्वयं प्रासंगिक तथ्य हैं:

“जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, या लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के बारे में बयान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है। इस तरह के बयान प्रासंगिक हैं, चाहे वह व्यक्ति जिसने उन्हें बनाया था, उस समय जब उन्हें बनाया गया था, मृत्यु की उम्मीद अंतर्गत था या नहीं, और उस कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो जिस अंतर्गत उसकी मृत्यु का कारण प्रश्न अंतर्गत आता है।” (जोर दिया गया)।

पायस जसुंगा एस/ओ अकुमु बनाम रानी में यह इंगित किया गया था (उप-धारा में तिरछे शब्दों से जुड़े कारण के लिए) कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के संदर्भ में स्वीकार की गई मृत्यु घोषणा के साथ जोड़ा जाने वाला भार अनिवार्य रूप से सामान्य विधि नियमों के अंतर्गत स्वीकार की गई मृत्यु घोषणा के साथ संलग्न वजन से कम होगा। प्रथम प्रकार

के कथन में उस विशेष गुण का अभाव होगा जो एक मरते हुए व्यक्ति द्वारा की गई घोषणा के इर्द-गिर्द माना जाता है जो अपनी स्थिति से अवगत था और जिसने जीवित रहने की सभी आशा छोड़ दी थी। तदनुसार यह आश्चर्य की बात नहीं लग सकती है कि इस तरह के बयानों से निपटने वाली अदालतों ने सामान्य विधि परीक्षण लागू होने के मामले की तुलना में उनके उपयोग में और भी अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता महसूस की है।”

57. यह न्यायालय मुथु कुट्टी और अन्न बनाम निरीक्षक द्वारा राज्य

पुलिस, टी. एन. ने (2005) 9 एस. सी. सी. 113 में रिपोर्ट की, ऊपर उल्लिखित बुडकॉक (ऊपर) में निर्णय पर चर्चा करते हुए अदालतों को आगाह किया था कि वे निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ यह सुनिश्चित करें कि उस पर भरोसा करने से पहले एक मृत्यु घोषणा विश्वसनीय है:-

“13. ... जिस सामान्य सिद्धांत पर इस प्रकार के साक्ष्य को स्वीकार किया जाता है, वह यह है कि वे चरम सीमा में की गई घोषणाएं हैं, जब पक्ष मृत्यु के बिंदु पर होता है और जब इस दुनिया की हर आशा समाप्त हो जाती है, जब झूठ का हर उद्देश्य शांत हो जाता है, और मन को सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचारों से प्रेरित किया जाता है; इतनी गंभीर और इतनी वैध स्थिति को विधि द्वारा न्याय की न्यायालय में प्रशासित सकारात्मक शपथ द्वारा लगाए गए दायित्व के बराबर माना जाता है। आयर, एल. सी. बी. द्वारा इन पहलुओं को स्पष्ट रूप से बताया गया है।

आर. वी. में बुडकॉक ((1789) 1 लेह 500:168 ई. आर. 352)। शेक्सपियर

घायल मेलुन को बनाती है, खुद को ठीक करती है 815

इरफ़ान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 816 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

डाउफिन लुईस के इच्छित विश्वासघात की घोषणा करते हुए अविश्वासी बताते हैं:

“क्या मैंने अपने विचार में घृणित मृत्यु का सामना किया है, लेकिन जीवन की मात्रा को बनाए रखा है,

कौन सा मोम के रूप में भी खून बहाता है, जो अपने शरीर से ठीक हो जाता है?

दुनिया को अब मुझे धोखा देने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे सभी छल का उपयोग खोना होगा?

फिर मैं झूठा क्यों होऊँ क्योंकि यह सच है कि मुझे यहाँ मरना चाहिए और यहाँ सच्चाई से जीना चाहिए? ”

(किंग जॉन, एक्ट V, सीन IV देखें) जिस सिद्धांत पर साक्ष्य में मृत्यु की घोषणा को स्वीकार किया जाता है, वह कानूनी उक्ति "नेमो मोरिटुरस प्रेसुमिटुर मेंटायर-एक आदमी अपने निर्माता से अपने मुंह में झूठ बोलकर नहीं मिलेगा" में इंगित किया गया है।

14. ... जिस स्थिति में कोई व्यक्ति मृत्युशय्या पर होता है, जब वह मर रहा होता है तो वह इतनी गंभीर और शांत होती है कि जिस गंभीर स्थिति में उसे रखा जाता है, वही उसके बयान की विधि को स्वीकार करने का कारण है। यही कारण है कि शपथ और प्रतिपरीक्षा की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, यदि मृत्यु घोषणा को बाहर रखा जाता है तो इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी क्योंकि पीड़ित आम तौर पर एक गंभीर अपराध में एकमात्र चश्मदीद गवाह होता है, बयान का बहिष्कार न्यायालय को सबूतों के बिना छोड़ देगा।

15. यद्यपि मृत्युपूर्व घोषणा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्त के पास प्रतिपरीक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की शक्ति सत्य को प्राप्त करने के लिए एक दायित्व के रूप में आवश्यक है

शपथ ले सकते हैं। यही कारण है कि न्यायालय इस बात पर भी जोर देती है कि मृत्यु घोषणा ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए जिससे न्यायालय को अपनी शुद्धता पर पूरा विश्वास हो। न्यायालय को इस बात से सावधान रहना होगा कि मृतक का बयान या तो पढ़ाने, या उकसाने या कल्पना के परिणाम के रूप में नहीं था। न्यायालय को आगे इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि हमलावर का निरीक्षण करने और उसकी पहचान करने का स्पष्ट अवसर मिलने के बाद मृतक मानसिक स्थिति में था। एक बार जब न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि घोषणा सच और स्वैच्छिक थी, तो निस्संदेह, यह

बिना किसी और पुष्टि के अपने विश्वास को आधार बना सकता है। यह नहीं हो सकता।

विधि के एक पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित किया जाए कि मृत्यु घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकती है जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। पुष्टि की आवश्यकता वाला नियम केवल विवेक का नियम है।...

(बल दिया गया)

58. यह न्यायालय नल्लापति शिवैया बनाम उप-विभागीय अधिकारी, गुंटूर मामले में,

आंध्र प्रदेश ने **(2007) 15 एस. सी. सी. 465** में और भज्जू उर्फ करण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ने **(2012) 4 एस. सी. सी. 327** में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मृत्यु घोषणाओं के अर्थ और सिद्धांतों की व्याख्या की थी, जिन पर इसकी स्वीकार्यता स्थापित की गई है:-

“20. सुनाई देने वाले नियम के अपवाद के रूप में मृत्यु घोषणा को मान्यता देने का एक ऐतिहासिक और साहित्यिक आधार है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि यह नियम शेक्सपियर मूल का है। द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन में, शेक्सपियर ने लॉर्ड मेलुन को यह कहने के लिए मजबूर किया था कि "क्या मैंने अपने विचार में घृणित मृत्यु का सामना किया है, लेकिन जीवन की एक मात्रा को बनाए रखा है, जो खून बहाता है, सभी छल का उपयोग खो देता है" और पूछा, "तो फिर मुझे झूठा क्यों होना चाहिए, क्योंकि यह सच है कि मुझे यहाँ मरना है और सच्चाई से जीना है?" विलियम शेक्सपियर, द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन, अधिनियम 5, दृश्य 4, पंक्तियाँ 22-29।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

22. यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है और हमारे हाथों से इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकती है। लेकिन साथ ही मृत्यु घोषणा को महत्व देने पर विचार करने में उचित सावधानी और सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ऐसी कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो सच्चाई को प्रभावित कर सकती हैं। इस न्यायालय ने एक से अधिक निर्णयों में आगाह किया है कि अदालतों को यह देखने के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा कि मृत्यु घोषणा या तो शिक्षण या उकसाने या कल्पना की उपज का परिणाम नहीं थी। यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मृतक मृत्यु घोषणा करने के लिए मानसिक स्थिति में था। खुद को संतुष्ट करने के लिए कि मृतक मृत्यु की घोषणा करने के लिए मानसिक स्थिति में था, अदालतों को चिकित्सा राय लेनी होगी।

23. यह समझना मुश्किल नहीं है कि हत्या के मुकदमे में मौत की घोषणाओं को सबूत में क्यों स्वीकार किया जाता है, जनरल 817 के लिए एक हड़ताली अपवाद के रूप में।

इरफ़ान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 818 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

सुनी-सुनाई बातों के खिलाफ शासन करें। उदाहरण के लिए, एक जीवित गवाह के मामले में शपथ की किसी भी मंजूरी को कम से कम मरने वाले व्यक्ति के विवेक से संतुलित माना जाता है। यह कहा गया है कि कोई भी अपने होंठों पर झूठ बोलकर मरना नहीं चाहेगा। एक मृत्यु घोषणा को पवित्रता मिली है और मृत्यु घोषणा देने वाला व्यक्ति असत्य देने वाला अंतिम व्यक्ति होगा क्योंकि वह अपने निर्माता के सामने खड़ा होता है।

24. एक कानूनी उक्ति है "नेमो मोरिटुरस प्रेसुमिटुर मेंटायर" जिसका अर्थ है, कि एक आदमी अपने निर्माता से उसके मुंह में झूठ के साथ नहीं मिलेगा। वुड्रॉफ ई और अमीर अली ने साक्ष्य अधिनियम पर अपने ग्रंथ में कहा है: "जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है, तो जिस कब्र में उसे रखा

जाता है, उसे विधि द्वारा उसकी सत्यता के लिए एक पर्याप्त आधार माना जाता है और इसलिए शपथ और प्रतिपरीक्षा के परीक्षणों को समाप्त कर दिया जाता है। 25. न्यायालय को मामले की परिस्थितियों में प्रत्येक मामले पर विचार करना होता है। मृत्यु घोषणा को क्या महत्व दिया जाना चाहिए, यह न्यायालय पर छोड़ दिया जाता है, जो परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर साक्ष्य और सामग्री के मूल्यांकन पर, संस्करण की सच्चाई या अन्यथा के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा, चाहे वह लिखित, मौखिक, मौखिक या संकेत या इशारों से हो। "

(जोर दिया गया) 59। भजू (ऊपर) में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"23. "मृत्यु घोषणा" का अनिवार्य रूप से अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण या उसकी मृत्यु के परिणामस्वरूप लेनदेन की परिस्थितियों के बारे में दिया गया बयान। मृत्यु घोषणा की स्वीकार्यता इस सिद्धांत पर आधारित है कि आसन्न मृत्यु की भावना एक आदमी के दिमाग में पैदा होती है, वही भावना जो शपथ के अंतर्गत एक कर्तव्यनिष्ठ और गुणी आदमी की होती है। मृत्यु घोषणा इस विचार पर स्वीकार्य है कि घोषणा चरम सीमा में की गई थी, जब निर्माता मृत्यु के बिंदु पर होता है और जब इस दुनिया की हर आशा समाप्त हो जाती है, जब एक झूठा मुकदमा दायर करने का हर उद्देश्य दिमाग में चुप हो जाता है और गवाही देने वाला व्यक्ति सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचारों से प्रेरित होता है।

XXX XXX XXX

26. विधि अच्छी तरह से तय है कि एक मृत्यु घोषणा साक्ष्य में स्वीकार्य है और स्वीकार्यता आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है।

60. अनादिकाल से, यह मानने के लिए एक सामान्य सहमति के बावजूद कि मृत्यु घोषणा सच है, उन्हें सख्ती से स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि कार्रवाई का सामान्य तरीका यह रहा है कि न्यायाधीश यह तय करता है कि क्या मृत्यु घोषणा की अनिवार्यताओं को पूरा किया जाता है और यदि यह स्वीकार्य हो सकता है, एक बार किया जाता है, तो यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि मृत्यु घोषणा किस हद तक श्रेय का हकदार है।

61. भारत में भी इसी तरह के पैटर्न का पालन किया जाता है, जहां अदालतों को पहले खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है कि प्रश्न मृत्यु घोषणा उस पर कोई भरोसा करने से पहले विश्वसनीय और सत्य है। इस प्रकार, सत्य होने की धारणा रखते हुए मृत्यु घोषणा पूरी तरह से विश्वसनीय होनी चाहिए और विश्वास को प्रेरित करनी चाहिए। जहां उसी की सत्यता पर कोई संदेह है या रिकॉर्ड पर साक्ष्य से पता चलता है कि मृत्यु घोषणा सच नहीं है, तो इसे केवल सबूत के रूप में माना जाएगा, लेकिन केवल दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है।

62. यह निर्धारित करने के लिए कोई कठोर और तेज नियम नहीं है कि मृत्यु घोषणा कब स्वीकार की जानी चाहिए; न्यायालय का कर्तव्य इस प्रश्न का निर्णय मामले के तथ्यों और आसपास की परिस्थितियों में करना है और इसकी सच्चाई के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होना

है। नीचे दिए गए कुछ कारकों को उसी को निर्धारित करने के लिए माना जा सकता है, हालांकि, वे केवल मृत्यु घोषणा के वजन को प्रभावित करेंगे न कि इसकी स्वीकार्यता को:-

(i) क्या बयान देने वाला व्यक्ति मृत्यु की उम्मीद में था?

((ii) क्या मृत्यु की घोषणा जल्द से जल्द की गई थी? "पहले अवसर का नियम "

((iii) क्या यह मानने के लिए कोई उचित संदेह है कि मरने वाले व्यक्ति के मुंह में मृत्यु की घोषणा की गई थी?

((iv) क्या मृत्यु घोषणा पुलिस या किसी इच्छुक पक्ष के कहने पर उकसाने, पढ़ाने या नेतृत्व करने का उत्पाद था?

(v) क्या बयान ठीक से दर्ज नहीं किया गया था?

इरफ़ान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 820 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

819

((vi) क्या मृत्यु घोषणा करने वाले को घटना को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिला था?

((vii) क्या मृत्यु घोषणा पूरे समय सुसंगत रही है? ((viii) क्या मरने की घोषणा अपने आप में मरने वाले व्यक्ति की कल्पना की अभिव्यक्ति/धारणा है कि वह क्या सोचता है?

(ix) क्या मृत्यु घोषणा स्वयं स्वैच्छिक थी?

(x) कई मृत्यु घोषणाओं के मामले में, क्या पहली घोषणा सत्य को प्रेरित करती है और दूसरी मृत्यु घोषणा के अनुरूप है? (xi) क्या चोटों के अनुसार, मृतक के लिए मृत्यु की घोषणा करना असंभव होता?

63. अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के खिलाफ आरोप को उचित संदेह से परे स्थापित करे। संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त के पक्ष में जाना चाहिए। यह सच है कि मृत्यु घोषणा सबूत का एक ठोस टुकड़ा है जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए बशर्ते यह साबित हो कि यह स्वैच्छिक और सच्चा था और पीड़ित मन की स्थिति में था। न्यायालय के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मृत्यु की घोषणा विश्वसनीय है क्योंकि आरोपी को मृत्यु की घोषणा में हमलावर के रूप में नामित किया गया है।

64. केवल उन मामलों में मृत्यु घोषणा के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करना असुरक्षित है जहां मृत्यु घोषणा की शुद्धता के संबंध में संदेह, जैसे कि हाथ में मामला उठाया गया है। ऐसे मामलों में, न्यायालय को मृत्यु घोषणा को केवल एक साक्ष्य के रूप में मानते हुए कुछ पुष्टिकारक साक्ष्य की तलाश करनी पड़ सकती है। एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रत्येक मामले में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री को ठीक से तौला जाना चाहिए। हम ऐसा कहने का कारण यह है कि वर्तमान मामले में, हालांकि दो मृत्यु घोषणाओं में अपीलार्थी-दोषी का नाम एक ऐसे व्यक्ति के रूप

में लिया गया है जिसने आदेश जारी किया है, फिर भी आसपास की परिस्थितियाँ घोषणाकर्ताओं के इस तरह के बयान को बहुत संदिग्ध बनाती हैं।

65. (2013) 12 एस. सी. सी. 406 में रिपोर्ट किए गए सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य में, इस न्यायालय ने पैरा 13 में "उचित संदेह से परे सबूत" और "संदेह" के बीच के अंतर की जांच करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"13. संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता है, और कुछ ऐसा जो "साबित किया जा सकता है" और कुछ ऐसा जो "साबित किया जाएगा" के बीच एक बड़ा अंतर है। आपराधिक मुकदमे में, संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही दी जानी चाहिए। यही कारण है कि "हो सकता है" और "होना ही चाहिए" के बीच की मानसिक दूरी काफी बड़ी है, और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है। आपराधिक मामले में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि केवल अनुमान या संदेह कानूनी सबूत का स्थान न ले। "सच हो सकता है" और "सच होना चाहिए" के बीच की बड़ी दूरी को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्य के माध्यम से कवर किया जाना चाहिए, इससे पहले कि एक आरोपी को दोषी के रूप में दोषी ठहराया जाए, और बुनियादी और सुनहरे नियम को लागू किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, "सच हो सकता है" और "सच होना चाहिए" के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को केवल अनुमानों और निश्चित निष्कर्षों के बीच महत्वपूर्ण दूरी बनाए रखनी चाहिए, जो मामले की सभी विशेषताओं की पूर्ण और व्यापक सराहना के साथ-साथ रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर निष्पक्ष न्यायिक जांच की कसौटी पर पहुंचे। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय की विफलता से बचा जाए, और यदि किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ ऐसी मांग करती हैं, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि एक उचित संदेह एक काल्पनिक, तुच्छ या केवल संभावित संदेह नहीं है, बल्कि एक उचित संदेह है जो तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित है।"

66. यह सच हो सकता है जैसा कि इस न्यायालय ने न्याय के माध्यम से कहा है

धर्म दास वाधवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कृष्ण अय्यर ने रिपोर्ट किया

(1974) 4 एस. सी. सी. 267 में, कि उचित संदेह के लाभ के नियम का अर्थ यह नहीं है कि एक कमजोर विलो हिचकिचाहट के हर झोंके के लिए झुकता है। न्यायाधीश कठोर सामग्री से बने होते हैं और उन्हें परिस्थितिजन्य या प्रत्यक्ष साक्ष्य से होने वाले वैध निष्कर्षों के बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। इस सिद्धांत को लागू करते हुए भी, हमें अपराध में अपीलार्थी-दोषी की संलिप्तता के संबंध में संदेह है।

67. वर्तमान मामले में, केवल दो मृत्यु घोषणाओं के आधार पर दोषसिद्धि को समाप्त करना कठिन पंथ है। दोहराव की कीमत पर, पीडब्लू-2 पर उच्च न्यायालय द्वारा भी अन्यथा विश्वास नहीं किया गया है।

इरफान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

821

68. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पीडब्लू-4 सोनी का मौखिक साक्ष्य भी किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी-दोषी के खिलाफ अपना मामला उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। 69. इसलिए हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और अपीलार्थी-दोषी को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी करते हैं। इसलिए, अपीलार्थी-दोषी को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है बशर्ते कि वह किसी अन्य मामले या मामलों के संबंध में आवश्यक न हो।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों की अनुज्ञात गई।

दिव्या पांडे